प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 26.08.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 8,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 25.08.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 8,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 43/2000 धारा 302, 307 व 504 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सुखनाथ पुत्र मूसे निवासी नकहा जंगल नं0 01 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अन्तर्गत धारा 302/24 भादवि के अपराध हेतु आजीवन कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा तथा अन्तर्गत धारा 307/24 भादवि के अपराध हेतु 10 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा उक्त मामले में पूर्व में बितायी गयी कोई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 25.08.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एनसीआर 134/2012 धारा 323 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बिलाल पुत्र सद्दीक निवासी फतुआपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना***के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता संतोष कुमार तिवारी पुत्र स्व0 जयराम तिवारी निवासी भिटिया खुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोती लाल यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 352 वाहनों से 3,68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 26.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 352 वाहनों से 3,68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त हरिद्धार पुत्र जयनाथ निवासी जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 26.08.2025 को औद्योगिक क्षेत्र शमशान घाट के पास से कुल 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. हरिद्धार पुत्र जयनाथ निवासी जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 776/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 300 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री मोती लाल यादव, हो0का0 नूरुद्दीन खाँ, का0 भानू प्रताप सिंह, का0 मनीष कुमार यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 550 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त अच्छन खान पुत्र अब्दुल रब निवासी सेमरियावा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 26.08.2025 को कर्मा खान पावर हाउस के बगल बाग के पास से कुल 550 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अच्छन खान पुत्र अब्दुल रब निवासी सेमरियावा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 310 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 550 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद , हो0का0 अरविन्द यादव, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 रत्नेश सिंह।